BULANDSHAHR POLICE

दिनांक- 08 फरवरी, 2024 थाना कोतवाली देहात

विभिन्न प्रतियोगी/सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में पैसे लेकर धोखाधड़ी कर परीक्षा पास कराने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 08 शातिर सदस्य व 03 अभ्यर्थी गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 28.10.2023 को वादी श्री रमेश सिंह पुत्र श्री बुद्ध सिंह प्रधानाचार्य छत्रपति शिवाजी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शिवाजी नगर हजरतपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर दो अभियुक्तों के विरुद्ध प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET) में छल व धोखा धड़ी करके अभिलेखों में हेरा फेरी करने व नकली दस्तावेजों को असल में रुप में उपयोग करते हुए पकड़े जाने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया जिसके संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 602/23 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि व 3/9 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधि0 पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के क्रम में जांच/छानबीन में यह प्रकाश में आया कि राजकुमार उर्फ पंडित पुत्र रमेशचन्द निवासी छैछऊ थाना इगलास जनपद अलीगढ़ द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर एक सुसंगठित गिरोह बनाकर विभिन्न प्रतियोगी/सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से पैसे लेकर धोखाधड़ी कर परीक्षा पास कराने का गिरोह चलाते है। थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा दिनांक 07-02-2024 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत जहांगीराबाद बस स्टेंड से राजकुमार उपरोक्त सहित 08 शातिर सदस्य व 03 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 58/24 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. राजकुमार उर्फ पंडित पुत्र रमेशचन्द निवासी छैछऊ थाना इगलास जनपद अलीगढ़।
2. गौरव कुमार पुत्र प्रमोद सिंह मलान निवासी ग्राम हाजियापुर थाना टप्पल जनपद अलीगढ़।
3. सर्वेश कुमार पुत्र घनश्याम सिंह निवासी सुखरिया थाना राया जनपद मथुरा।
4. अतुल पुत्र प्रेम प्रकाश निवासी इरौली जुन्नादार थाना सुरीर जनपद मथुरा।
5. शिवम पाठक उर्फ शिवा पुत्र हरिबाबू निवासी छैछऊ थाना इगलास जनपद अलीगढ़।
6. नवनीत अग्रवाल पुत्र राकेश अग्रवाल निवासी गोरई थाना इगलास जनपद अलीगढ़।
7. सोनू उर्फ सुखवीर पुत्र बादाम सिंह निवासी ताल नगर थाना गौंडा जनपद अलीगढ़।
8. गजेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नगला सबल थाना गौंडा जनपद अलीगढ़।
9. रोहित कुमार पुत्र शैलेन्द्र कुमार निवासी अमरपुर घना थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस।
10. कुलदीप पुत्र शैलेन्द्र कुमार निवासी अमरपुर घना थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस।
11. पवन पुत्र तुलाराम निवासी गजू थाना राया जनपद मथुरा।

बरामदगी का विवरणः-

1. 37 एडमिट कार्ड (संबंधित उ0प्र0 पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड- पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑपरेटर-2022)
2. 07 एप्लीकेशन फार्म छायाप्रति (संबंधित उ0प्र0 पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड- पोस्ट कांस्टेबल सिविल पुलिस-2023)
3. 11 मोबाइल फोन
4. 01 लेपटॉप
5. 01 थम्ब स्कैनर
6. 4,500 रुपये नकद
7. 02 मौहर, 01 फर्जी आधार कार्ड आदि

गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार उर्फ पंडित द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि वह अपने गिरफ्तार साथियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रतियोगी/सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में पैसे लेकर ट्रेनिंग सैंटर और विभिन्न कम्पनियों/कम्प्यूटर लैब के एक्सपर्ट अपने अन्य साथियों के द्वारा साठ-गाठ कर परीक्षा केन्द्रों से एक्सपर्ट के माध्यम से लिंक लेकर स्क्रीन शेयर कर परीक्षा में धोखाधड़ी करते है तथा अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने के नाम पर मोटी रकम लेते है और पैसे को आपस में बाट लेते है। इसके अतिरिक्त कुछ ऑफलाइन परीक्षाओं में साफ्टवेयर के माध्यम से एडमिट कार्ड में फोटो मिक्सिंग कर परीक्षा में धोखाधड़ी करते है। वर्तमान में उ0प्र0 पुलिस में रेडियो ऑपरेटर की भर्ती चल रही है जिसकी परीक्षा में धोखाधड़ी कर हमारे पास मिले एडमिट कार्ड वाले सभी अभ्यर्थियों व हमारे साथ गिरफ्तार कुलदीप, पवन व रोहित से वर्तमान में चल रही रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा पास कराने हेतु 06-06 लाख रुपये में बात हुई है तथा इनसे एडवांस के रुप में 50-50 हजार रुपये नकद लिये गये है।

अभियुक्त राजकुमार उर्फ पंडित का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 418/20 धारा 419/420 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद अलीगढ़।
2. मुअसं- 282/21 धारा 420/467/468/34 भादवि थाना कमला नगर जनपद आगरा।
3. मुअसं- 311/23 धारा 419/420/120बी भादवि गुरुग्राम हरियाणा।
4. मुअसं- 313/23 धारा 419/420 भादवि गुरुग्राम हरियाणा।
5. मुअसं- 602/23 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि व 3/9 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधि0 थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर।
6. मुअसं- 58/24 धारा 414/420/467/468/471/120 बी भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त नवनीत अग्रवाल का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 1247/19 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 58/24 धारा 414/420/467/468/471/120 बी भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त सर्वेश, शिवम, अतुल, गजेन्द्र का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 58/24 धारा 414/420/467/468/471/120 बी भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त सोनू का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 418/20 धारा 419/420 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद अलीगढ़।
2. मुअसं- 58/24 धारा 414/420/467/468/471/120 बी भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त गौरव का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 644/20 धारा 147/323/506 भादवि थाना टप्पल जनपद अलीगढ़।
2. मुअसं- 591/21 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
3. मुअसं- 58/24 धारा 414/420/467/468/471/120 बी भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री सोमवीर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात
2. उ0नि0 शरद कुमार, उ0नि0 राहुल कौशिक
3. है0का0 कुलदीप राठी, है0का0 रुधन सिंह, है0का0 अनुज, का0 आशीष कुमार, का0 गौरव राणा, का0 श्याम सुन्दर सिंह

मीडिया सेल, बुलंदशहर